अनवान मलकीत सिंह व अन्य बनाम आत्मा सिंह व अन्य
वाद पत्र संख्या 034/2019

27.01.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली मे बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। कुलवन्त सिंह पुत्र मलकीयत सिंह जाति रामगढिया निवासी चक 16 पी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत करते हुये कथन किये कि उक्त अनवानी प्रकरण में मलकीयत सिंह पुत्र जीवन सिंह का देहान्त दिनांक 21.08.2020 को हो चुका है जिसके प्रथम श्रेणी के वारिस प्रार्थीगण है और प्रार्थीगण के अलावा अन्य कोई प्रथम श्रेणी का वारिस नही है। इसलिए वादी संख्या 01 मलकीयत सिंह के स्थान पर प्रार्थीगण को बतौर वादीगण प्रतिस्थापित किया जावे। वादी संख्या 01 मलकीयत सिंह के वारिसान की सूची निम्न प्रकार है–

1.1 हरपाल कौर पत्नि मलकीयत सिंह आयु 80 वर्ष जाति रामगढिया निवासी चक 16 पी तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर सतपाल पुत्र श्री हरीराम जाति नायक निवासी (बादलका) बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

1.2 हरनेक सिंह पुत्र मलकीयत सिंह आयु 53 वर्ष जाति रामगढ़िया निवासी चक 7 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

1.3 सर्दुल सिंह पुत्र मलकीयत सिंह आयु 45 वर्ष जाति रामगढ़िया निवासी भाई रूपा तहसील रामपुराफूल जिला बठिण्डा (पंजाब)।

1.4 कुलवन्त सिंह पुत्र मलकीयत सिंह आयु 50 वर्ष जाति रामगढ़िया निवासी चक 16 पी तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

1.5 पप्पी पुत्री मलकीयत सिंह पत्नि जसवन्त सिंह आयु 48 वर्ष निवासी चक जानीसर तहसील जलालाबाद व जिला फाजिल्का (पंजाब)।

अतः प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी संख्या 01 के स्थान पर उसके विधिक प्रतिनिधि 1.1 से 1.5 को पक्षकारान के रूप में शामिल किया जाकर आगामी कार्यवाही की जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा कथन किये गये कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इस बाबत प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा नो ऑब्जेक्शन टिप्पणी अंकित की है।

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उक्तानुसार वादी संख्या 01 के स्थान पर उसके विधिक प्रतिनिधि 1.1 से 1.5 को पक्षकारान के रूप में संयोजित किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 12.02.2025 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:09:27 IST
Reason: SelfAttested